यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय निदेशक प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखंड, श्रीनगर (गढ़वाल)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **निदेशक प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड श्रीनगर (गढ़वाल)** के माह 06/2016 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय त्यागी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री डी॰के॰मट्टु, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री जोगिंदर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 26/04/2018 से 08/05/2018 तक श्री रामसनेही, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सुधीर कुमार व देवेन्द्र दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियो एवं श्री गौरव पंत, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 25/06/2016 से 06/07/2016 तक श्री दानिश इकबाल वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 09/2014 से 05/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2016 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2 (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** निदेशालय कार्यालय द्वारा राजकीय पॉलिटैक्निक संस्थाओ का वार्षिक बजट तैयार किया जाता है, एवं वह इन संस्थाओ को बजट आवंटित करता है तथा साथ ही वह इनका लेखा ऑडिट भी संपादित करता है। राजकीय पॉलिटैक्निक संस्थाओ एवं अध्ययन-अध्यापन, प्रशिक्षण आदि सूचनाओ को संकलित कर डाटा बेस तैयार किया जाता है। निदेशालय का कार्यालय उत्तराखंड श्रीनगर (गढ़वाल) मे स्थित है, इसकी औसत ऊंचाई 560 मीटर। यह ऋषिकेश से राष्ट्रीय राजमार्ग NH-58 से जुड़ा हैं। ऋषिकेश से श्रीनगर की दूरी 125 किलोमीटर है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		स्थापना (01, 03, 06)		गैर स्थापना		बचत	आधिक्य (+)₹	बचत (-)₹ `
	स्थापना ₹	गैर स्थापना ₹	आवंटन ₹	व्यय ₹	आधिक्य(+)	₹ बचत(-)	आवंटन ₹	व्यय ₹			
2015-16	0.00	0.00	110.68	77.75	-	32.93	70.91	49.94	20.97	0.00	53.90
2016-17	0.00	0.00	129.64	87.52	-	42.12	81.55	72.45	9.10	0.00	51.22
2017-18	0.00	0.00	111.76	105.12	-	6.64	73.66	70.87	2.79	0.00	9.43
2018-19 (04/2018)	0.00	0.00	120.92	8.04	-	112.88	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष ₹**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ ₹**	**विविध प्राप्तियाँ (ब्याज आदि)**	**कुल प्राप्तियाँ**	**कुल व्यय**	**बचत (-)₹**
2015-16	4202-02-104-03-00(SPA)	0.00	1955.19	0.00	1955.19	890.28	1064.91
	2203-00-105-01-02(CDTP/UPGRADITION)	0.00	116.50	0.00	116.50	116.50	0.00
2016-17	4202-02-104-01-03(केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्रीयपुरोनिधानित योजनाए-100%)	0.00	128.39	0.00	128.39	128.39	0.00
	2203-00-105-01-02(CDTP/UPGRADITION)	0.00	271.00	0.00	271.00	271.00	0.00
2017-18	2203-00-105-01-02(CDTP/UPGRADITION)	0.00	23.00	0.00	23.00	23.00	0.00
	2203-00-001-01-02(उत्तराखंड कौशन विकास समिति)	0.00	2032.43	0.00	2032.43	2032.43	0.00
2018-19 (04/2018 तक)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(ii) इकाई को बजट आवंटन (राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई केन्द्र से धनराशि प्राप्त करती है। इकाई ए श्रेणी के अंतर्गत आती है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा सचिव से निचले स्तर तक निम्न प्रकार है :- 1- सचिव 2- निदेशक 3- अपर निदेशक 4-संयुक्त निदेशक 5- वित्त नियंत्रक 6-उप निदेशक 7- वेयक्तिक अधिकारी 8- वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक 9-वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी 10- प्रशासनिक अधिकारी 11-ज्येष्ठ लेखा परीक्षक 12--सहायक लेखाकार 13-प्रधान सहायक 14- वरिष्ठ सहायक 15-कनिष्ठ सहायक 16-वाहन चालक - आउटसोर्सिंग 17-चतुर्थ श्रेणी

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा मे कार्यालय निदेशक प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड श्रीनगर (गढ़वाल) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय निदेशक प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड श्रीनगर (गढ़वाल)** की

लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 & 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। 2203-00-105-01-02(CDTP/UPGRADITION) केंद्र सरकार द्वारा पोषित योजना का चयन किया गया। प्रतिचयन लागत एवं व्यय धनराशि तथा कार्यो की वास्तविक स्थिति को ध्यान मे रख कर चयन किया गया।

(iii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग - दो (ब)

प्रस्तर 1:- धनराशि ₹ 480.95 लाख पी॰एल॰ए॰ खाते मे 5 वर्ष बीते जाने के उपरान्त अवरुद्ध रहना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका मे निहित प्रावधानों के अनुसार कोई भी धनराशि विगत 3 वर्षो से अनुपयोगी रहने की स्थिति मे स्वत: व्यपगत हो जाती है।आहरण वितरण अधिकारी का दायित्व होता है कि सक्षम प्राधिकारी को सूचित करते हुए वह अनुपयोगी धनराशि को राजस्व प्राप्ति के रूप मे समायोजित कराना सुनिश्चित करे। कार्य पूर्ण होने पर अवशेष राशि यदि कोई हो तो उसे शासन को वापिस कर दिया जाना चाहिए।

कार्यालय प्राविधिक शिक्षा निदेशालय,श्रीनगर के लेखा अभिलेखो कि जांच करने पर पाया कि शासनादेश संख्या- 322/x LI-1/ 2013-79/12 दिनांक 28 मार्च 2013 द्वारा उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय सीमान्त प्रौधोगिकी संस्थान, महिला इंजीनियरिंग कॉलेज देहरादून हेतु भारत सरकार द्वारा धनराशि ₹ 5.00 करोड़ दिनांक 31/03/2013 को उपलब्ध कराये गये थे जिसे सी॰डी॰ओ॰ पौड़ी द्वारा संचालित कार्यालय प्राविधिक शिक्षा निदेशालय श्रीनगर के पी॰एल॰ए॰ खाते मे जमा किया गया। तदोपरान्त शासन के आदेश संख्या - 183 / x LI-/2013-16/13 दिनांक 22/04/2013 के द्वारा तकनीकी विश्वविधालय, महिला इंजीनियरिंग कॉलेज देहारादून के भवन निर्माण हेतु धनराशि ₹ 5.00 करोड़ मे से ₹19.08 लाख कि धनराशि पौड़ी पी॰एल॰ए॰ खाते से दिनांक 17/05/2013 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आहरित की गयी। शेष धनराशि ₹ 480.95 लाख वर्ष 2012-13 से 2017-18 तक लगभग 5 वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी पी॰एल॰ए॰ खाते मे अवरुद्ध पड़ी थी, जिसका उपयोग नहीं किया गया जिससे इस योजना का लाभ छात्रो को नहीं मिल पा रहा था। इससे स्पष्ट है कि विभाग द्वारा उक्त योजना के प्रति उदासीनता बरती गई। धनराशि ₹ 480.95 लाख तकनीकी विश्वविद्यालय से संबन्धित थी जिसे लेखापरीक्षा अवधि तक अवमुक्त नहीं किया गया। संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि तकनीकी विश्वविद्यालय को भारत सरकार द्वारा 31/03/2013 को ₹ 5.00 करोड़ उपलब्ध कराये गये थे जिसे पी॰एल॰ए॰ खाते मे जमा किया गया था, दिनांक 13/05/2013 को ₹ 19.05 लाख अवमुक्त किया गया था। उक्त धनराशि निर्माण कार्य व साज सज्जा से संबन्धित थी जो वर्ष 2012-13 से पी॰एल॰ए॰ मे जमा है। तकनीकी विश्वविद्यालय से उक्त धनराशि के संबन्ध मे कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ तथा कार्यालय द्वारा इस संबंध मे दिनांक 13/08/2015 को पत्राचार किया गया था।

विभाग द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार द्वारा जिन उद्देश्यों हेतु धनराशि उत्तराखंड राज्य को उपलब्ध कराई गयी थी। 5 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी उन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी अत: धनराशि ₹ 480.95 लाख पी॰एल॰ए॰ खाते मे अवरुद्ध पड़े रहने का प्रकरण उच्च अधिकारियो के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर 2:- स्टेशनरी मद संख्या-11 एवं कम्प्युटर स्टेशनरी मद (47) से ₹ 10.64 लाख की धनराशि व्यय में प्रक्रिया का पालन न किया जाना।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली -2008 की धारा 3(10) के अनुसार निम्नतम दरो का लाभ प्राप्त करने के लिए यथा शीघ्र अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाना चाहिए। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित या छोटे-छोटे टुकड़ो मे विभक्त नहीं करना चाहिए, और न ही कुल आवश्यकता को आंकलित मूल्य के संदर्भ मे अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारियो की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए छोटे-छोटे भागो मे विभक्त करना चाहिए। उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली -2008 की धारा 10(1) मे स्पष्ट वर्णित है कि ऐसी सामग्री और मदो के लिए, जिन्हे सामान्य उपयोग की मदो के रूप मे चिन्हित किया और जिनकी सरकारी विभागो और एजेन्सियो को बार-बार आवश्यकता होती हैं, उनके लिए राज्य सरकार या राज्य सरकार के प्रशासनिक विभागो की पदनामित केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा "दर सविंदा की जा सकती हैं। ऐसी दर सविंदाओ का विवरण विभाग/शासन को वेबसाइट पर रखा जाना चाहिए। विभाग/शासन यह सुनिश्चित करेगा कि दर सविंदा के मूल्य, बाज़ार भाव या अन्य संघटनों के समान दर सविंदाओ मे दिये गए मूल्यो से अधिक न हो । उक्त धारा की बिन्दु 10(2) मे स्पष्ट है कि दर सविंदाये सामान्यत: एक समय मे एक वर्ष के लिए संचालित की जा सकेगी। तथापि ऐसी सामग्री के विषय मे जिनके मूल्य मे निरन्तर उतार-चढ़ाव होता हैं या जहां दर संविदा की जा सकती है और ऐसी सामग्री के बाज़ार भाव पर कड़ी निगरानी रखी जाए। **स्टेशनरी मद (11) एवं कम्प्युटर स्टेशनरी मद (47)** की लेनदेन से संबन्धित बिल एवं वाउचर की संप्रेक्षा द्वारा जांच की गयी।

जिनके विशलेषण से स्पष्ट हुआ कि इकाई द्वारा **कम्प्युटर स्टेशनरी मद (47) एवं स्टेशनरी मद (11) मे** उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली -2008 के नियमो का पालन न करते हुए वर्ष मे की जाने वाली एक मुश्त दर संविदा नहीं की गयी, न ही बाज़ार का survey किया गया, न ही इकाई स्तर पर किसी क्रय समिति का गठन किया गया था। इकाई द्वारा quotation के माध्यम से जो सामग्री खरीदी गयी, सम्प्रेक्षा द्वारा इकाई से पृच्छा किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे लेखा परीक्षा दल को अवगत कराया की भविष्य मे इकाई द्वारा उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली -2008 के नियमो का पालन करते हुऐ वर्ष मे की जाने वाली एक मुश्त दर संविदा की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। इकाई द्वारा प्रक्रिया का अनुपालन किए जाने का आश्वसन दिया गया। प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1:- मशीन साज-सज्जा मद संख्या- 26 से ₹ 26.71 लाख की धनराशि का अनियमित व्यय।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति संशोधित नियमावली -2015 की धारा 09 मे स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक अवसर पर ₹ 50000.00 से अधिक तथा ₹ 03 लाख तक लागत की सीमा मे क्रय की जाने वाली सामाग्री का क्रय, विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से गठित तीन समुचित स्तर के सदस्यो की स्थानीय क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया जा सकता है। इस क्रय समिति मे अनिवार्य रूप से एक सदस्य वित्तीय सेवाओ या लेखा परीक्षा सेवाओ या अधिप्राप्ति क्रय प्रक्रिया और वित्तीय नियमो का परामर्श देगा। यह क्रय समिति दरो की युक्ति-युक्तता, गुणवत्ता तथा विशिष्टता सुनिश्चित करने के लिए बाज़ार का सर्वेक्षण करेगी, और उपयुक्त आपूर्तिकर्ता चिन्हित करेगी। **मशीन साज-सज्जा मद संख्या- 26** की लेनदेन से संबन्धित ₹26.72 लाख के बिल एवं वाउचर की संप्रेक्षा द्वारा जांच की गयी।

जिनके विश्लेषण से स्पष्ट हैं कि उच्चतर प्राधिकारियो की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए छोटे-छोटे भागो मे मदों को विभक्त करते हुए क्रय प्रक्रिया अपनायी गयी। इकाई द्वारा सामग्री क्रय मे न तो बाज़ार का survey किया गया, न हे इकाई स्तर पर किसी क्रय समिति का गठन किया गया था। इकाई द्वारा quotation के माध्यम से सामग्री खरीदी गयी। सम्प्रेक्षा द्वारा इकाई से पृच्छा किए जाने पर अपने उत्तर मे इकाई ने लेखा परीक्षा को अवगत कराया कि इकाई द्वारा वर्ष -12/2017 मे ई-tendering कि प्रक्रिया को अपनाया गया है, भविष्य मे इकाई द्वारा संप्रेक्षा के द्वारा निर्देशित नियमो का पालन करते हुऐ वर्ष मे की जाने वाली एक मुश्त दर संविदा की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, क्रय समिति गठित कर सामग्री क्रय कि जाएगी एवं भविष्य मे बाज़ार survey रिपोर्ट प्राप्त कर निविदा/कोटेशन प्राप्त किया जाएगे। इकाई द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया गया एवं निर्धारित प्रक्रिया को पालन करने का आश्वासन दिया गया। प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-तृतीय

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
51/2007-08	02	03
126/2008-09	-	01
42/2011-12	01	01
2012-13	-	1,2,3
96/2014-15	-	1,2
32/2015-16	-	1,2,3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	**अभ्युक्ति**
51/2007-08 126/2008-09 42/2011-12 2012-13 96/2014-15 32/2015-16	-	-	-	**1**-विगत लेखा परीक्षा के अनिस्तारित प्रस्तरों की पत्रावली कार्यालय मे अभी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जैसे ही पत्रावली उपलब्ध हो जाएगी वैसे ही पुराने प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उच्च आधिकारियों की संस्तुति के साथ लेखा परीक्षा कार्यालय को प्रेषित कर दी जाएगी, 2-वर्ष 2015-16 के प्रस्तर की अनुपालन आख्या निदेशालय से संस्तुति के साथ लेखा परीक्षा कार्यालय को प्रेषित कर दी गयी हैं।

<u>भाग-चार</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

<u>शून्य</u>

<u>भाग-पाँच</u>

<u>आभार</u>

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय निदेशक प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड श्रीनगर (गढ़वाल)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- <u>शून्य</u>

1. **सतत् अनियमितताएः**

(i) <u>शून्य</u>

2. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री आर॰पी॰ गुप्ता	अपर निदेशक	(06/2016 से 04/2018 तक)
2.	श्री आनन्द राम	वरिष्ठ वित्त अधिकारी	(09/2014 से 05/2016 तक)
3.	श्री विवेक स्वरूप	वित्त नियंत्रक	(06/2016 से 04/2018 तक)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **(कार्यालय निदेशक प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड श्रीनगर (गढ़वाल)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र का नाम) को प्रेषित कर दी जांये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.